अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2017 अनवानी प्रकाश कुमार पुत्र लालचंद निवासी 1/36,37 हाउसिंग बोर्ड, वार्ड न0 6, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी, श्रीगंगानगर

14–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रकाश कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी प्रकाश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2017 के द्वारा जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> उचित मूल्य दुकान (डिपो) संजय ऑयल ट्रेडर्स वार्ड न0 7 पुराना 9 बी श्रीगंगानगर (राज0)
> 1. एपीएल कार्ड होल्डरों की सूची मय पता।
> 2. बीपीएल कार्ड होल्डरों की सूची मय पता।
> 3. अन्त्योदय व आस्था कार्ड होल्डरों की सूची मय पता।
> 4. अप्रैल 2015 से आज तक इस दुकान को आंवटित किया गया व इस द्वारा उठाया गया गेंहू, केरोसीन, तेल, चीनी एवं अन्य वस्तुओं की मात्रा तथां डिपो होल्डरों द्वारा वितरण न होने की स्थिती में यदि विभाग में जमा किया गया हो तो उसकी भी माहवार मात्रा।
> 5. प्रत्येक वस्तु में दुकानदार का लाभांश प्रतिशत की जानकारी देने वाले दस्तावेज का निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतियां।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय अवधि में सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3225 दिनांक 25.05.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना के संबंध उनके कार्यालय के पत्र सं0 2870 दिनांक 04.05.2017 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने पत्र संख्या 2870 दिनांक 04.05.17 के द्वारो अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

> इस सम्बन्ध लेख है कि बिन्दु संख्या 1,2,3 के सम्बन्ध में जिस प्रारूप में आपने सूचना चाही गई है इस कार्यालय में संधारित नही होने के कारण आरटीआई की धारा 2 च के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवायी जाना सम्भव नही है।
>
> बिन्दु संख्या 4 में चाही गई सूचना अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक दो वर्ष की उपलब्ध करवायी जा सकती है जिसके 24 पेज बनते है। जिसकी देय फीस राशि 2 रूपये प्रति पेज की दर से 48/–रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवा कर इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
>
> बिन्दु संख्या 5 के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस के अन्दर इस कार्यालय में उपस्थित होकर निरीक्षण करके प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकते है।
>
> इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार बिन्दु सं0 1, 2 व 3 की सूचना जिस प्रारूप में अपीलार्थी ने चाही है, उस प्रारूप में उनके कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण धारा 2"च" के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है और बिन्दु सं0 4 की सूचना के संबंध में अप्रेल 2015 से मार्च 2015 तक की दो वर्ष की सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है जिसके 24 पेज की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पेज की दर से 48 रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है जो अपीलार्थी को जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। बिन्दु सं0 5 की सूचना के संबंध में अभिलेख का निरीक्षण कर सूचना प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर